Order Sheet

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज, जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी- श्री लोकेन्द्र चौधरी, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः- 55/2026 (CNR No. RJBR130001712026)

सरकार बनाम बृजराज उर्फ गोलु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1 नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः- 55/2026 (CNR No. RJBR130001712026) सरकार बनाम बृजराज उर्फ गोलु	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2026	सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। थानाधिकारी **पुलिस थाना नाहरगढ़** की ओर से **अभियुक्त बृजराज उर्फ गोलु पुत्र मुरलीधर, उम्र 25 वर्ष, निवासी- सहरोद, थाना अटरू, जिला बारां (राज.)** के विरूद्ध **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15/2026** में आरोप पत्र **अंतर्गत धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम** में पेश किया, जिसकी नकल अभियुक्त को दिलाई गई। प्रस्तुत आरोप पत्र में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम** का अपराध बनना पाया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध **धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम** में प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। चाक एफ.आई.आर. शामिल पत्रावली हो। अभियुक्त को उक्त धारा का आरोप सारांश मौखिक सुनाया गया तो अभियुक्त ने सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियोजन साक्ष्य बंद की गई। अतः अभियुक्त के द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति एवं पत्रावली पर उपलब्ध आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्त को **धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम** के अपराध के आरोप में दोषी करार दिया जाता है। सजा के प्रश्न पर सुना गया। **विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त श्री एम.आई. खान** का कथन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। कोई पूर्व दोषसिद्धी की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ दिया जावे। स्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ दिया जाना एवं उस पर अभियोजन व्यय लगाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** अतः **अभियुक्त बृजराज उर्फ गोलु पुत्र मुरलीधर, उम्र 25 वर्ष, निवासी- सहरोद, थाना अटरू, जिला बारां**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2 नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः- 55/2026 (CNR No. RJBR130001712026) सरकार बनाम बृजराज उर्फ गोलु	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(राज.) को **धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम** के अपराध में दोषी करार दिया जाकर, इस अपराध हेतु उसे अपराधी **परीवीक्षा अधिनियम की धारा 3** के प्रावधानों के तहत सम्यक रूप से प्रताड़ित करके एवं भविष्य में अपराध न करने की चेतावनी देकर छोड़ा जाता है तथा **अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत 200/- रूपये बतौर अभियोजन व्यय** स्वरूप अधिरोपित किए जाते है। **अभियुक्त ने 200/- रुपये (अक्षरे- दो सौ रुपये) अभियोजन व्यय की राशि जरिये ऑनलाईन जी.आर.एन. नंबर 119722064 दिनाँक 10.03.2026 को जमा करवाई।** रसीद शामिल पत्रावली हो। प्रकरण में जप्तशुदा माल उसके स्वामी को सौंपा जावे। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जाये। **(लोकेन्द्र चौधरी)** **न्यायिक मजिस्ट्रेट,** **किशनगंज, जिला बारां (राज.)**	